न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 856 / 2023

अनवान : –

1. गुरप्रीतसिंह पुत्र लीलू सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
2. फतेह सिंह पुत्र लीलू सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –02/04/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 3 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 50 / 48 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीगण के पिता का नाम लीलबन्शसिंह दर्ज है जो की गलत है जब की वादीगण के पिता का वास्तविक व सही नाम लीलू सिंह है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीगण अपने पिता का नाम लीलबन्शसिंह के स्थान पर लिलूसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण के पिता का सही नाम लीलूसिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड पिता नाम लीलबन्शसिंह गलत दर्ज हो गया जिससे वादीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादीगण अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादीगण के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादीगण के पिता का ना लीलूसिंह दर्ज है। अतः मुताबिक वादीगण के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीगण के पिता का सही नाम लीलूसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:06 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बीकेके तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता स0 50/48 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि में वादीगण के पिता का नाम लीलबन्श सिंह दर्ज है के स्थान पर लीलूसिंह दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड, आदि में वादीगण के पिता का नाम लीलूसिंह अंकित है। वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 50/48 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि के वादीगण बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादीगण का नाम गुरप्रीत सिंह पुत्र लीलबन्शसिंह के स्थान पर गुरप्रीतसिंह पुत्र लीलू सिंह व फतेहसिंह पुत्र लीलबन्शसिंह के स्थान पर फतेहसिंह पुत्र लीलू सिंह के के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम गुरप्रीतसिंह, फतेहसिंह पि0 लीलबन्शसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुरप्रीतसिंह, फतेहसिंह पि0 लीलबन्शसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम गुरप्रीतसिंह, फतेहसिंह पि0 लीलबन्शसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/04/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 856/2023

अनवान : –

1. गुरप्रीतसिंह पुत्र लीलू सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
2. फतेह सिंह पुत्र लीलू सिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 856 सन 2023 निर्णय दिनांक –02/04/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री कुलदीपसिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 50/48 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादीगण का नाम गुरप्रीत सिंह पुत्र लीलबन्शसिंह के स्थान पर गुरप्रीतसिंह पुत्र लीलू सिंह व फतेहसिंह पुत्र लीलबन्शसिंह के स्थान पर फतेहसिंह पुत्र लीलू सिंह के के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम गुरप्रीतसिंह, फतेहसिंह पि0 लीलबन्शसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुरप्रीतसिंह, फतेहसिंह पि0 लीलबन्शसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम गुरप्रीतसिंह, फतेहसिंह पि0 लीलबन्शसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक....2/4/24....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:06 IST
Reason: SelfAttested